प्रश्न- भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A (राजद्रोह कानून) औपनिवेशिक भारत की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है, न कि आजाद भारत की जरूरत को। इस कथन पर विचार करते हुए लॉ कमीशन के वर्तमान में इसकी वैधानिक स्थिति क्या है और सुप्रीम कोर्ट का इसके संदर्भ में क्या रुख है?

भारतीय दंड संहिता की धारा- 124 A

(i) धारा 124A राजद्रोह से संबंधित है, और 1870 में यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पेश किया गया था।

(ii) इस कानून के अंतर्गत, राजद्रोह भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना करता है।

(iii) इस मामले में, आजीवन कारावास और जुर्माना या 3 साल की कैद और जुर्माना का प्रावधान है।

(iv) इस कानून को वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने हेतु लाया गया था।

विधि आयोग, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A की धारा पर फिर से विचार कर रही है। पूरी तरह से पुनर्विचार और राष्ट्रीय बहस के उपरांत इसे जनता के समक्ष पेश किया जाएगा।

केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राजद्रोह में क्या शामिल है - किसी भी लिखित या बोले जाने वाले शब्द आदि, जिसमें सरकार के विरुद्ध हिंसक तरीकों से अवमानना या असंतोष लाने का प्रयास शामिल है, देशद्रोह होगा। हालांकि इसके साथ दृढ़ता से यह भी स्पष्ट किया गया कि इसमें हिंसा का ~~हिंसा का~~ प्रयास शामिल नहीं है तो यह देशद्रोह नहीं होगा।

बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले

Scanned by CamScanner

Do Not Write In This Margin

में, सुप्रीम कोर्ट ने खालिस्तान समर्थन नारे लगाने को देशद्रोह के आरोप साबित करने से इंकार कर दिया।

इसी तरह, बिलाल अहमद कालू बनाम आंध्र प्रदेश मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को निर्देश दिया कि वे राजद्रोह के आरोपों को लागू करने में सावधानी बरतें, साथ ही यह भी बताया कि वह अपराध की प्रकृति पर ध्यान दें एवं इसके साथ ही नागरिक स्वतंत्रता को ध्यान रखना चाहिए।

कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत अपराधों से निपटने के दौरान, अधिकारी केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में निर्धारित सिद्धांतों से बंधे होंगे। सरकार की आलोचना के लिए राजद्रोह के आरोप नहीं लगाए जा सकते।

आलोचना -

यह एक विडंबना है कि जिस कानून का प्रयोग स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए हुआ उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, खुद ब्रिटेन ने 10 वर्ष पहले इसे समाप्त कर दिया था। साथ ही, इस धारा के दुरुपयोग के बार-बार उदाहरण सामने आए हैं।

वर्तमान कानून में तहत, राजद्रोह के अंतर्गत निम्न तथ्यों को शामिल किया जा सकता है -

(i) सरकारी नीतियों और व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी आलोचना।

(ii) नेताओं से नाराजगी के संदर्भ में नारे लगाना।

(iii) एक अनुत्तरदायी व असंवेदनशील शासन का चित्रण।

Scanned by CamScanner

Do Not Write In This Margin

Do Not Write In This Margin

हाल के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए मूल सिद्धांत को भुला दिया गया है। जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया कि सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए हिंसा या प्रवृत्ति को उकसाना के आवश्यक तत्व हैं।

जब तक राजद्रोह को सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाएगा तब तक इसे बुरा कहना अनुचित होगा। इस प्रकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए राजद्रोह के प्रावधान से होने वाले नुकसान को कम करने के दो तरीके हैं –

(i) इसमें संशोधन किया जा सकता है, ताकि राजद्रोह की परिभाषा बहुत संकीर्ण हो।

(ii) दूसरा और सबसे अच्छा भाग को पूरी तरह से निरस्त करना है।

Scanned by CamScanner